(राजस्थान–सरकार)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 02/2020**

**बउनवान**

निर्मला देवी पत्नि स्व. दिनेश कुमार जाति बाबर निवासी पुरानी तहसील रास्ता वार्ड सं0 12 छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(निगराकार)

**बनाम**

1. हरीश पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार जाति बाबर निवासी पुरानी तहसील रास्ता वार्ड सं0 12 छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. सरपंच, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद, जिला बारॉ
3. सचिव/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(गैर निगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा , 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (निगराकार)
2– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (गैर निगराकार क्र.1)
3– श्री हिमांशु जैन अभिभाषक (गैर निगराकार क्र. 2 व 3)

निर्णय दिनांक 13.09.2021

निगराकार द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा, 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद के संकल्प सं0 4 दिनांक 05.09.2018 की पालना में दिनांक 07.02.2019 को गैर निगराकार से आवासीय भूमि का पट्टा सं0 50 अपने नाम जारी करवाकर पट्टे का पट्टा विलेख दिनांक 20.02.2019 पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 228 पृष्ठ सं0 67 क्रम सं0 201903334100135 पर पंजीबद्ध किया गया है जिसका माप 624 वर्गफीट है, जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरूद्व गैर–निगराकारान के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगराकारान को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में निगराकार के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण में गैर निगराकार क्रम 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया गया कि उक्त विवादित भूमि को रहन, बेचान, दान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नहीं किया जावें। ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद से मूल पट्टा विलेख और बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किया गया जो अप्राप्त है। प्रकरण में गैर–निगराकारान 1 ता 3 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों को हीं आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**प्रकरण में दौराने बहस** निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य का आवास [illegible] सं0 12 छीपाबड़ौद में स्थित है जिसका माप 624 वर्गफीट है। [illegible] आवास का आवासीय [illegible] का पट्टा ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद के संकल्प सं0 4 दिनांक 06.06.2011 की अनुपालना में दिनांक 30.08.2011 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर उप पंजीयक छीपाबड़ौद में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 173 पृष्ठ संख्या 66 क्रम सं. 2011001151 पर दिनांक 16.09.2011 को पंजीबद्ध किया। निगराकार के पति दिनेश कुमार की प्रथम पत्नि के पुत्र गैर निगराकार क्रम 1 हरीश के बाल्यावस्था में स्वर्गवास हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:12 IST
Reason: SelfAttested

गया। निगराकार दिनेश कुमार की द्वितीय विवाहिता धर्मपत्नि है। निगराकार ने पति के स्वर्गवास के बाद परिवार का पालन–पोषण एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए कच्चे आवास को सभी सुविधाओं से युक्त अपनी अर्जित आय से पुनः निर्मित करवाया है। गैर निगराकार क्रम 1 आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने निगराकार के पुत्र अविनाश को भी अपनी संगत से नशेबाज बना दिया। गैर निगराकार क्रम 1 ने निगराकार के स्वामित्व एवं पट्टाशुदा मकान को हड़पने के लिए गैर निगराकार क्रम 2 व 3 से मिलकर निगराकार के पट्टाशुदा, आवास का छल, कपट एवं फर्जीवाड़ा कर ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद से संकल्प सं0 4 दिनांक 05.09.2018 की अनुपालना में दि. 07.02.2019 को गैर निगराकार से आवासीय भूमि का पट्टा सं0 50 अपने नाम जारी करवाकर उक्त पट्टे का पट्टा विलेख दिनांक 20.02.2019 पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 228 में पृष्ठ सं0 67 क्रम सं0 201903334100135 पर पंजीबद्ध करवा लिया है। गैर निगराकार क्रम 1 अवैध एवं शून्य पट्टा सं. 50 पंजीकृत पट्टा विलेख दि. 20.02.2019 के आधार पर निगराकार को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टाशुदा आवास से निगराकार को बेदखल कर आवास को बेचान करने पर उतारू है तथा निगराकार के साथ लड़ाई–झगड़ा एवं हिंसा कर रहा है। निगराकार ने घरेलू हिंसा से संरक्षण हेतु गैर निगराकार के विरूद्ध न्यायालय ए.सी.जे.एम. साहब, छीपाबड़ौद में परिवाद पेश कर दिया है। निगराकार के द्वारा ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद से गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टे की सूचना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत की जिसपर ग्राम पं. द्वारा सूचना नहीं देने पर उप पंजीयक, छीपाबड़ौद से भू–पट्टा विलेख एवं भू–पट्टा सं. 50 की प्रतिलिपि दिनांक 25.05.2020 को प्राप्त करने पर ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी भू–पटटे की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद द्वारा प्रस्ताव सं. 4 से जारी अवैध एवं शून्य आवासीय भू–पट्टा सं. 50 दिनांक 07.02.2019 विधिकता का विनिश्चय करवाकर ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद के प्रस्ताव सं. 14 व जारी भू–पट्टा सं. 50 को निरस्त करवाने का अधिकार निगराकार को है।

**अतः निगरानी पेश कर निवेदन है** कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद द्वारा प्रस्ताव सं. 4 से जारी अवैध एवं शून्य आवासीय पट्टा संख्या 50 एवं पंजीकृत भू–पट्टा विलेख दिनांक 20.02.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

**गैर निगराकार क्रम 1** के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि निगराकार दिनेश कुमार की विवाहिता नहीं है। फर्जी तरीके से संकल्प सं. 4 दिनांक 06.06.2011 की पालना में 30.08.2011 को ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा जारी करवा लिया गया है, जो गलत है। निगराकार को पट्टे की निरस्ती व अवैध करवाने हेतु सिविल कोर्ट को अधिकार है। माननीय न्यायालय में मिथ्या निगरानी पेश की है। निगराकार के पास स्व. पति दिनेश कुमार की पत्नि होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। स्व. दिनेश कुमार का वैध वारिस हरीश कुमार है जिसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 50 सही है। गैरनिगराकार क्रम 1 विकलांग होने के कारण चलने–फिरने में असमर्थ है। गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में गुलाबबार्दा द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत की हुई है जो वसीयतकर्ता की स्वार्जित सम्पत्ति थी। गैरनिगराकार क्रम 1 द्वारा पट्टा सं. 50 दिनांक 20.02.2019 जारी हुआ जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी मिथ्या आधारों पर पेश होने से संव्यय खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:12 IST
Reason: SelfAttested

**गैर निगराकार क्रम 2 व 3 के अभिभाषक** द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैर निगराकार क्रम 1 [illegible] पट्टे हेतु आवेदन पूर्व में जारी किए गए पट्टे के तथ्यों के छिपाकर किया गया था। पट्टा [illegible] करने से पूर्व लिए गए प्रस्ताव में यह अंकित किया गया था कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का न्यायिक दस्तावेज पेश करने एवं विवाद होने पर प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं पट्टा निरस्त समझा जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में उक्त भू–खण्ड बाबत कोई पट्टा जारी किया गया पाया जाने पर पश्चात्वर्ती पट्टा स्वयं हीं निरस्तनीय है।

**मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषक** की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। जिससे पाया गया कि गैर निगराकार क्रम 1 ता 3 द्वारा उक्त विवादित आवासीय भूमि के पूर्व में ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 30.08.2011 जो निर्मला देवी पत्नि दिनेश कुमार बाबर निवासी छीपाबड़ौद के नाम जारी किया गया, को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाए बिना नया पट्टा विलेख ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद द्वारा दिनांक 07.02.2019 को हरीश कुमार पुत्र स्व. दिनेश कुमार जाति बाबर निवासी छीपाबड़ौद के नाम जारी किया गया है जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

**परिणाम स्वरूप निगराकार** द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, छीपाबड़ौद के संकल्प सं. 4 दिनांक 05.09.2018 की पालना में दिनांक 07.02.2019 को आवासीय भूमि का पट्टा सं. 50 जो श्री हरीश कुमार पुत्र स्व. दिनेश कुमार जाति बाबर निवासी छीपाबड़ौद के नाम जारी किया गया है, निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

( बृजमोहन बैरवा )
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:12 IST
Reason: SelfAttested